| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>चन्द्रशेखर बनाम लो.सू.अ.( तहसीलदार तिंवरी )<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 169 / 2017 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.11.17 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्रशेखर पुत्र सोमदान पता पुलिस थाना कालन्द्री जिला सिरोई ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.17.2017 में उसके द्वारा (1) राजस्व केम्प न्याय आपके द्वार मालंगा दिनांक 19 / 05 / 17 को सोमदान पुत्र बद्रीदान चारण निवासी नेरवा चारणान पटवार हलका मालूंगा में ख.नं. 480, 420 के फौत म्यूटेशन हेतु पेश किया था उस आवेदन व साथ लगाये गये कागजात की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार तिंवरी ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार तिवरी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिवरी ) से जरिये पत्रांक 251 दिनांक 14.11.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 199 दिनांक 24..17 के जरिये भिजवाई गई। अपीलार्थीपक्ष ने लिखित बहस ( अपील सं. 168 / 17 में संलग्न है ) में बतलाया कि दिनांक 13.11.2017 से पूर्व प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसील कार्यालय से किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार या सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है व उस पर पूर्व के जावक कमांक लगाकर पहले दिनांक में डिस्पेच की है। जो सूचना चाही गई वो अधुरी व पूरी नहीं भेजी है, परन्तु अधुरी सूचना किस प्रकार है उसका इस प्रकरण से संबंधित कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया। | |